

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।

क्रमांक : युडीआर / 1120 / एम.पी. / परतापुर-गढ़ी /

दिनांक:-28.04.2023


अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत परतापुर-गढ़ी (जिला-बाँसवाडा) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2036 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। परतापुर-गढ़ी मास्टर प्लान-2036 (प्रारूप) के नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है:-

राजस्व ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम	Name of Revenue Village
1.	गढ़ी	GARHI
2.	परतापुर	PARTAPUR
3.	मोरड़ी	MORDI
4.	नवापादर	NAWAPADAR
5.	भगोरा	BHAGORA
6.	बेडवा	BEDWA
7.	पाडलिया की ढाणी	PADLIYA KI DHANI
8.	हिमता की ढाणी	HIMTA KI DHANI
9.	मदरूप की ढाणी	MADROOP KI DHANI
10.	किशना की ढाणी	KISHNA KI DHANI
11.	नवांगाव	NAWAGAON
12.	सेमलिया	SEMALIYA
13.	लोहारियापाड़ा	LOHARIYAPADA

परतापुर-गढ़ी मास्टर प्लान-2036 (प्रारूप) के संबंध में दिनांक 28.04.2023 से दिनांक 29.05.2023 तक की समयावधि में कोई भी व्यक्ति/संस्था/विभाग अपनी आपत्ति एवं सुझाव नगर पालिका, परतापुर-गढ़ी अथवा कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर अथवा कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर सकते हैं। मास्टर प्लान (प्रारूप) का उक्त समयावधि में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय नगर पालिका, परतापुर-गढ़ी में अवलोकन किया जा सकता है। इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय नगर पालिका, परतापुर-गढ़ी से क्रय किये जा सकते हैं।


(अरविन्द सिंह कानावत)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
उदयपुर जोन, उदयपुर